

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग


कार्यालय आदेश

का० आ०सं०-1/वि०सं०/विविध-06/2015/न०वि०¹⁹³राँची दिनांक- 10/11/16

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के पत्रांक-3075, दिनांक-03.11.16 के आलोक में दिनांक-17.11.16 से प्रारंभ होने वाले चतुर्थ विधान सभा के सप्तम् (शीतकालीन) सत्र के निर्धारित कार्यक्रमानुसार सत्रावधि में दिनांक-17.11.16 से सत्रावसान तक निदेशानुसार सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी विधायी कार्यों से निष्पादनार्थ कार्यालय में विलम्ब तक ठहरकर विधानसभा से संबंधित कार्य करेंगे एवं अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का आदेश प्राप्त कर ही कार्यालय छोड़ेंगे।


2. सभी सहायक कार्यालय अवधि के बाद प्रत्येक दिन अपने आलमीरा की चाभी एवं विधायी कार्यों से संबंधित कागजात विधायी कार्यों के प्रभारी संयुक्त सचिव को सौंप देंगे।

3. श्री कल्लू पासवान, आदेशपाल को आदेश दिया जाता है कि सत्रावधि के दौरान प्रत्येक दिन 8.30 बजे पूर्वा० में कार्यालय खोलेंगे तथा अधोहस्ताक्षरी की अनुमति लेकर कार्यालय बन्द करेंगे।


(प्रमोद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-1/वि०सं० /विविध-06/2015/न०वि०⁶¹³⁹राँची दिनांक:- 10/11/16

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/राज्य शहरी विकास अभिकरण/सभी पदाधिकारी/कर्मचारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।